


कार्यालय जिला पंचायत कांकेर

महात्मा गांधी नरेगा शाखा जिला उ.ब.कांकेर(छत्तीसगढ़)

zpmgnrega@gmail.com, Phone No. 07868-241039, Toll Free- 1800-233-1545



क्र. 1257/ जि.पं./मनरेगा/लेखा-स्था/ 22-23/

कांकेर, दिनांक 4/5/2023

—o विज्ञापन o—

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/806/पंप्राविवि/22/2011 दिनांक 06.04.2011, पत्र क्र 807, दिनांक 05.03.2019 एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के पत्र क्रमांक 2767/वि-7/मनरेगा/2014, रायपुर दिनांक 04.08.2014 व पत्र क्रमांक 89/ वि-7/मनरेगा/ स्था/2023/अटल नगर दिनांक 09.01.2023 में प्राप्त निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध जिला पंचायत कार्यालय, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में तकनीकी सहायक (मनरेगा) के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से दिनांक 29 मई 2023 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

संविदा पद का नाम – तकनीकी सहायक (संविदा-मनरेगा)

आरक्षण	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण	
अनारक्षित मुक्त -1, महिला -1	एकमुश्त संविदा मानदेय	1) बी.ई./बी.टेक (सिविल ब्रांच से)	1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुये।	70 अंक
अ.ज.जा. मुक्त -3, महिला -2	₹ 25,780.00	2) पालिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल ब्रांच से)	2) कम्प्युटर प्रायोगिकी परीक्षा पर।	15 अंक
अ.पि.व. मुक्त -2 महिला -0			3) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव पर प्रत्येक 06 माह के लिए 01 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक।	15 अंक
कुल 09 पद			कुल -	100 अंक

आयु सीमा :-

दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश निर्देश इन नियुक्तियों के लिए भी लागू होंगी।

कार्य अनुभव का अंक :-

अनुभव का लाभ लेने के लिए नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा इसकी स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

अन्य शर्त :-

- 1/ आवेदक अपना आवेदन पत्र, "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर (महात्मा गांधी नरेगा शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर" के नाम व पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 2/ आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चरपा किया जाना अनिवार्य है। फोटोग्राफस की मानक आकार लं-4 से.मी., चौ.-3 से.मी. (रंगीन होगी)।

- 3/ आवेदकों की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "संविदा नियुक्ति नियम 2012" में निहित शर्तों के अधीन होगी। एवं संविदा अवधि में "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012" के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- 4/ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची दावा/आपत्ति के लिए जिला पंचायत की सूचना पटल पर चरपा किया जाएगा, तदुपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:5 अनुपात के मान से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी शर्त में दूसरा अवसर नहीं दिया जावेगा।
- 5/ सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों को ही उच्चतम योग्यता के आधार पर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के लिए चयनित किया जावेगा, जिसे अभ्यर्थियों को पहचान हेतु फोटो आइडी के रूप में आधार अथवा पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
- 6/ सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं अपनी व्यवस्था एवं व्यय से नियत स्थल पर नियत समयावधि में उपस्थित होंगे।
- 7/ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
- 8/ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताएँ भी लागू होगी।
- 9/ आवेदन पत्र के साथ 9X4 साइज का 02 लिफाफा, जिस पर ₹25-₹25 रुपये का डाक टिकट चरपा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
- 10/ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से नहीं जोड़ा या लिया नहीं जाएगा।
- 11/ आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का लाभ लेने के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 12/ उपरोक्त पद के लिए एकमुश्त मानदेय दिया जावेगा, इस मानदेय पर विशेष वेतन, महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति व शासन निर्देशों के आधार पर मानदेय वृद्धि की पात्रता होगी।
- 13/ आवेदक जिन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना से पूर्व में अनियमितता के आधार पर किसी भी पद से पृथक किया गया होगा, या उनकी उनकी संविदा

सेवावृद्धि निरंतर नहीं की गई है, वे पात्र नहीं माने जायेंगे। इस संबंध में गलत जानकारी दिए जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

- 14/ संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जावेगा।
- 15/ मनरेगा योजनांतर्गत आकस्मिक राशि श्रृंजण के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान व नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- 16/ नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति का निराकरण, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा द्वारा किया जावेगा, साथ ही आवेदन में सहमति देने का आशय यह होगा कि, लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 17/ उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
- 18/ चयन होने के पश्चात, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को नियोक्ता के साथ करार पत्र (अनुबंध पत्र) निष्पादित करना होगा।
- 19/ अन्य कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अभाव में अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
- 20/ आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत की सूचना पटल पर अथवा जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखी जा सकती है।


कलेक्टर

एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक—मनरेगा
जिला पंचायत, उ.ब.कांकेर (छ.ग.)

आवेदन-पत्र (प्रारूप)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम फोटो
(लं.-4सेमी, चौ.3सेमी)

1. आवेदक का नाम (अंग्रेजी कैपिटल लैटर में) —
2. आवेदक का पुरा नाम (हिन्दी में) —
3. पिता /पति का नाम —
4. (अ) जन्म तिथि —
- (ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु — दिन माह वर्ष
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता —
- (ब) स्थायी पता —
6. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) —
7. रोजगार पंजीयन क्रमांक —
- वैधता की अंतिम तिथि — दिनांक
- रोजगार कार्यालय का नाम —
- 10.शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता —

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विवि का नाम	विषय	पुर्णांक	प्राप्तांक
1	2	3	4	5	6	7

- 11.राष्ट्रीयता -
- 12.जन्म स्थान - तहसील..... जिला
- 13.विवाहित/अविवाहित -
- 14.विवाहित हो, तो विवाह की तिथि -
- 15.जीवित बच्चों की संख्या/ जन्मतिथि - संख्या जन्मतिथि
- 16.अन्य योग्यता /अनुभव -
- 17.क्या आवेदक शासकीय /अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? -

यदि हां तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें।

- 18.मोबाईल नंबर -
- 20.आधार नंबर -

19.संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित होना चाहिए)

- | | |
|----------|----------|
| 01. | 06. |
| 02. | 07. |
| 03. | 08. |
| 04. | 09. |
| 05. | 10. |

दिनांक -

स्थान -

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों व शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिए गये सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं, मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा, और चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति नहीं की जावेगी, व मुझे मान्य होगा। मैं संलग्न प्रमाण पत्रों की, मूल प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

दिनांक

स्थान

हस्ता

नाम

पता

.....

Copy
Format
Jishi